

पैसे लीजिये । यह आपके है ।

अपने ऊर्जा बिलों के लिए सरकारी सहायता पाने से न
चूकें जिसके लिए आप पात्र हो सकते/ती हैं।



कई रियायती कार्ड धारक, सरकार द्वारा चालू ऊर्जा रियायतों को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं -
आपको बस पूछने की ज़रूरत है। यह आपकी जेब में धनराशि वापस लौटाता है।
और अभी हम सब इसका उपयोग किसी और चीज के लिए सकते हैं।

क्या आपके

पास कॉमनवेल्थ रियायत कार्ड (Commonwealth concession card) है (जैसे कि सेंटरलिनक पेंशनधारी रियायत कार्ड (Centrelink Pensioner Concession Card), सेंटरलिनक हेल्थ केयर कार्ड (Centrelink Health Care Card) या वेटरन्स अफेयर्स गोल्ड कार्ड (Veterans' Affairs Gold Card))?

और:

बिजली या गैस बिल पर आपका नाम है।

या

आपने हाल ही में घर बदला है।

तो जिसपर आपका हक है वह आपको कैसे मिलेगा?
आज ही अपने ऊर्जा प्रदाता से संपर्क करें।

या अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय ऋण हेल्पलाइन (National Debt Helpline) **1800 007 007** पर संपर्क कर सकते हैं या **ndh.org.au** पर जा सकते/ती हैं।

यदि आप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया (SA) में हैं, तो **1800 307 758** पर कॉल करें या **sa.gov.au** पर जाएं और ऊर्जा बिल राहत (Energy bill relief) देखें।

यदि आप उत्तरी क्षेत्र (NT) में हैं, तो **1800 777 704** पर कॉल करें या **nt.gov.au** पर जाएं और रियायत योजना (NT Concession Scheme) देखें।

यदि आप स्ट्रेटा या कारवां पार्क, अपार्टमेंट बिल्डिंग या रिटायरमेंट होम या गांव में अपने मकान मालिक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं (एम्बेडेड नेटवर्क के माध्यम से) तो आप आज ही इन ऊर्जा प्रदाताओं से पूछ सकते हैं।

Public Interest
Advocacy
Centre

VCSS
Victorian Council
of Social Service

SACOSS
South Australian Council
of Social Service

TasCOSS

NTCOSS

Mental Health
Australia

Carers
Australia

Uniting

FECCA
Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia

qCOSS

Thriving
Communities
Partnership

NATIONAL
DEBT
HELPLINE
1800 007 007
ndh.org.au